

सम्पादकीय

उपराष्ट्रपति की आपत्ति

जगदीप धनखड़ की यह कठोर टिप्पणी और गर्माएंगी

तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से विधानसभा से पारित विधेयकों को रोकने पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले ने जो बहस शुरू की थी, उसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की यह कठोर टिप्पणी और गर्माएंगी कि न्यायपालिका सुपर संसद बनने की कोशिश न करे।

चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के विधेयकों पर तीन माह में फैसला लेने का आदेश देते हुए यह भी कहा था कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को असंविधानिक माने हुए राष्ट्रपति के पास भेजें तो वह उनसे राय लें, इसलिए यह सबाल उठा कि क्या उसे ऐसा आदेश देने का अधिकार है? यह सबाल इसलिए और भी उठा, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने दिया, न कि संविधानिक पीठ ने।

इस सबाल के बीच ऐसे संकेत दिए गए कि सरकार इस फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। वह सुप्रीम कोर्ट जाए या नहीं, यह प्रश्न अपनी जगह खड़ा रहेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों के विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा में बांधते हुए राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकता है?

इस प्रश्न के बीच इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि यह आदर्श श्विति नहीं कि राज्यपाल विधेयकों पर कोई फैसला लिए बिना उड़ें लंबे समय तक दबाए रखें। यह सामान्य बात नहीं कि तमिलनाडु के राज्यपाल करीब एक दर्जन विधेयकों को रोके हुए थे। इनमें से कुछ वर्षों पहले परित किए गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था।

राज्यपाल को गुण-दोष के आधार पर विधेयकों पर या तो खुद फैसला लेना चाहिए या फिर उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए। विधेयक दबाकर बैठेने का अर्थ है, राज्य सरकार के शासन करने के अधिकार और जनता के हितों की अनदेखी करना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उपराष्ट्रपति की आपत्ति का अपना आधार हो सकता है, लेकिन यह भी नहीं कि राज्यपाल विधेयकों पर फैसला ही न हो।

महत्वपूर्ण और राज्यपाल सरीखे संवेदनिक पदों पर बैठें लोगों से यही अपेक्षित होता है कि वे समय पर फैसला लें। जब ऐसा नहीं होता, तभी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अवासर मिलता है, लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि वह हस्तक्षेप के नाम पर अपने अधिकारों से बाहर याद देखे।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के साथ राष्ट्रपति को ही समयसीमा में नहीं बांधा, बल्कि तमिलनाडु के उन विधेयकों को मंजुरी भी दे दी, जिन्हें राज्यपाल ने रोक रखा था। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। यह पहली बार नहीं, जब अधिकारों को लेकर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में तकरीब हुई है।

ऐसे तीकरा तब तक होते रहे, जब तक ये तीनों अपना काम समय पर और सही तरह से नहीं करेंगी। दुर्भाग्य से कई बार तीनों ही ऐसा नहीं करतीं और इसके दुष्परिणाम भोगती है जनता।

गरीबों की भाग्य विधाता बनी मुद्रा योजना रोजगार के सपने हो रहे साकार

मुद्रा योजना का और अधिक रवास्तौर से गांवों-कस्बों तक प्रचार-प्रसार की दरकार है क्योंकि इससे ग्रामीण उद्योगों को एक नई दिशा दी जा सकती है और ग्राम्य स्तर पर ही रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। रोजगार सृजन की दूरदर्शी मुद्रा योजना न केवल क्रांतिकारी सिद्ध हो रही है बल्कि गांव-गरीब के जीवन स्तर को भी ऊपर उठा रही है।


■ अनिल बलनूरी

जनहित, स्वरोजगार और आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम मुद्रा योजना को इसी माह 10 वर्ष पूरे हुए। पिछले दिनों जब मैं अपने लोकसभा भैंसे में था, तब रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने मुझे मुद्रा योजना की सफलता की कई ऐसी कहनियां सुनाई कि किस तरह सुदूर पहाड़ में इस योजना से लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, रोजगार सृजित हो रहे हैं और पलायन पर अंकुश लग रहा है।

सेमलता भद्रार, जहांली के रहने वाले सोबत सिंह को रोजगार के लिए घर से बाहर रहना पड़ता था। उन्होंने पीएम मुद्रा योजना से लोग लेकर अचार उत्पाद का व्यवसाय शुरू किया और आज वे चार और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसके साथ ही अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। इसी तरह मवाना गांव, नगराम् निवासी इंटू देवी ने भी पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से गृहिणी से उदासी बनने तक का सफर तय किया। मवाना में उन्होंने फैब्रिकेशन वर्क की एक युनिट लाई, जिसमें वे अपने साथ कई और महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। बिंदु नामक एक महिला, जो पहले रोज 50 ज्ञानी बनानी थी, अब 500 ज्ञानी बनाने वाली एक यूनिट चलाती है।

ऐसी ही न जाने कितनी कहनियां हैं, जो पीएम मुद्रा योजना की सफलता की बानी पेश करती हैं। जब विषम परिस्थितियों वाले दुर्गम पहाड़ों में स्थिति बदल रही है तो यह समझा जा सकता है कि यह योजना कितनी परिवर्तनीय जोखी की उद्देश्य है। प्रधानमंत्री इस योजना के जरिये आम लोगों को सशक्त करना चाहते हैं, ताकि वे किसी की मदद पर आश्रित न रहें। जब आप धरतल पर

ऐसे योजना की बात हो गई है। यह योजना की जारी रखने के लिए धरती की गारंटी की जगह नहीं है। इसके तहत 60 हजार से 20 लाख रुपये तक का लोग लिया जा सकता है और वह भी गारंटी फी। इस योजना का असर यह हुआ कि अब हमारा देश जाब-सीकर



जाते हैं तो पीएम मुद्रा योजना के कारण आए बदलाव की बायार साफ दिखती है।

मैंने किशोरावस्था के द्वारे देखा है कि लोग किस तरह समय पर इलाज, खेती या किसी विक्री वैकंकों के द्वारा जीवन रुद्ध करते थे। अपनी जलसेवों को पूरा करने के लिए गरीबों को उन लोगों पर निर्भर होना पड़ता था, जो मोटे व्याज पर ऐसे उधार देते थे और फिर वे उस जाल में फँसते जाते थे। जब वैकंकों से लोग मिलना हुआ, तब भी लोग लेने के लिए पापड़ बैठने पड़ते थे, गारंट की तलाश करनी पड़ती थी। दलाल जब लोग दिलाते थे तो मोटा कमीशन भी खा जाते थे। अब यह गुजरे जमाने की बात हो गई है।

मुद्रा योजना में किसी की गारंटी की जरूरत नहीं है। इसके तहत 60 हजार से 20 लाख रुपये तक का लोग लिया जा सकता है और वह भी गारंटी फी। इस योजना का असर यह हुआ कि अब हमारा देश जाब-सीकर

नहीं, जाब-क्रिएटर तैयार कर रहा है। बीते 10 साल में 53 करोड़ से ज्यादा लोग पास हुए,

जिसके तहत लगभग 33 लाख करोड़ रुपये का लोग दिया गया। इसमें लगभग 68 प्रतिशत लाभांश महिलाएं हैं, और 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं।

इस योजना का लाभ फल-फूल, सब्जी बैचने, चाय की दुकान चलाने वाले से लेकर बुनरात और लघु उद्यम चलाने वाले तक उठा रहे हैं। वे अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और दूसरे के लिए रोजगार के अवसरा देते हैं। जो इस योजना का माजक उड़ाया करते थे, वे भी 20 लाख से अधिक मुद्रा लोग दिए गए हैं। इससे वहां के युवा भी अनुग्रहावाद को नकारकर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। इस योजना से सीमांत गांव भी आबाद हो रहे हैं और पलायन भी घटा है।

मुद्रा योजना से छोटे शहरों और गांवों तक कारोबार बढ़ा है। 'आदिकम्स आफ मोदीनामिक्स 2014-20' नामक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से हर साल कम से कम 5.14 करोड़ नए रोजगार शुरू हुए, जिसमें अकले मुद्रा योजना ने 2014 से प्रति वर्ष औसतन 2.52 करोड़ स्थायी रोजगार जोड़े।

जमू-कश्मीर, जो आतंकवाद और अलापावाद से पीड़ित रहना था और जहां युवाओं को आतंकी आका गमराह किया गया, अब यह साल कम भी उदासी बढ़ा रहा है। इससे लगभग 33 लाख योजना की अनुभावी महिलाएं हैं, और 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं।

मुद्रा योजना का और अधिक खास्तौर से गांवों-कस्बों तक प्रचार-प्रसार की दूरकर है, क्योंकि इससे ग्रामीण उद्योगों को एक नई दिशा दी जा सकती है और ग्राम्य स्तर पर ही रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। रोजगार सृजन की दूरदर्शी मुद्रा योजना न केवल क्रांतिकारी सिद्ध हो रही है, बल्कि गांव-गरीब के जीवन स्तर को भी ऊपर उठा रही है।

(लेखक लोकसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख हैं)

सॉर्ट माय कॉलेज यूथ समिट-2.0 की शुरूआत

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने 'इंडियाज लीडिंग यूथ फेर्स्ट' का किया उद्घाटन



को-फाउंडर अमन गुप्ता का की-नोट सेशन। समिट में अपने विचार व्यक्त करते हुए अमन गुप्ता ने अपनी स्टार्टअप्स और उदायियों को यात्रा से लेकर भारत के सबसे

प्रतिष्ठित